न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 32/2022 **GCMS No 2022/32**

दायरा तिथि : 04.02.2022

फैसला तिथि : 29-3-2022

प्रार्थीः:–

1. वरजु उर्फ रकमो पत्नी श्री चुनाजी जाति मेणा
   निवासी सेवाडी तहसील बाली जिला पाली
2. सरसों उर्फ भुताराम पुत्र श्री चुनाराम जाति मेणा
   निवासी सेवाडी तहसील बाली जिला पाली

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

3. श्री भरत जे. राठौड .... अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
4. पैरोकार सरकार ....

–:: आदेश ::– दिनांक 29-3-2022

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सेवाडी तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 2901, 2919 रकबा क्रमशः 0.30, 0.43 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम वरजू पत्नी चुनाजी व सरसों पुत्र चुनाजी** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम रकमो पत्नी चुनाराम व भुताराम पुत्र चुनाराम शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपुर्ण नाम **वरजू पत्नी चुनाजी व सरसों पुत्र चुनाजी** दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज प्रार्थीगण का सही व वास्तविक नाम **रकमो पत्नी चुनाराम व भुताराम पुत्र चुनाराम** दर्ज होना स्वीकार किया, तथा उक्त त्रुटि स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी के **त्रुटिपुर्ण नाम वरजू पत्नी चुनाजी व सरसों पुत्र चुनाजी** के स्थान पर **रकमो पत्नी चुनाराम व भुताराम पुत्र चुनाराम** शुद्ध किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई तथा प्रार्थी रकमो व वर्णित भूमि के सहखातेदार सोहनलाल के बयान लिये गये। सहखातेदार सोहनलाल द्वारा भी प्रार्थीगण के त्रुटिपूर्ण नाम को शुद्ध किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। विद्वान् वकील प्रार्थीगण श्री भरत जे. राठौड ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थीगण का सही एवं वास्तविक नाम **रकमो पत्नी चुनाराम व भुताराम पुत्र चुनाराम** है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थीगण द्वारा धारित मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड व राशन कार्ड की नकल पेश कर दी है, जिससे उसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम सेवाडी तहसील बाली में प्रार्थीण द्वारा धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 2901, 2919 रकबा क्रमशः 0.30, 0.43 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम वरजू पत्नी चुनाजी व सरसों पुत्र चुनाजी** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम रकमो पत्नी चुनाराम व भुताराम पुत्र चुनाराम शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेवाडी को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 29-3-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner